<u>बार कौंसिल उत्तर प्रदेश में परिवाद दाखिल करने हेतु आवश्यक निर्देश</u>

1. परिवाद हिन्दी या अंग्रेजी में अध्यक्ष, बार कौंसिल उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के नाम होना चाहिए।

2. आपका परिवाद बयान हल्फी (10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र) के साथ होना चाहिए या सिविल प्रोसीजर कोड (सी0पी0सी0) के नियमानुसार प्रमाणित होना चाहिए।

3. परिवाद के साथ 1,750/– रूपये की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (1000/– रूपये परिवाद शुल्क एवं 750/– रूपये सर्विस ऑफ प्रासेस के लिये) **<u>"बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश," इलाहाबाद</u>** के नाम प्रेषित करें।

4. उपरोक्त सभी कागजात 1 मूल एवं 5 सत्य प्रतिलिपि के साथ होना चाहिए। (यदि प्रतिवादी अधिवक्ता एक से अधिक हैं तो 5 सत्य प्रतिलिपियों के अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिवादी अधिवक्ता के हिसाब से एक–एक अतिरिक्त सत्य प्रतिलिपियां प्रेषित करें)

5. शिकायत के साथ **<u>प्रतिवादी अधिक्ता का नाम, पंजीकरण संख्या, पिता का नाम एवं पूर्ण पता पिन कोड</u>** सहित देना अनिवार्य है।